

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. सुगरसिंह | पिसरान कमरपाल जाति जाट निवासी सौमली |
| 2. रामगोपाल | |
| 3. महीपाल | |
| 4. राघामोहन | |
| 5. हरीमोहन | |
| 6. हाकिमसिंह | |
| 7. सन्ता पुत्री कमरपाल पत्नि बच्चूसिंह जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली | तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 8. केशो पत्नि कमरपाल जाति जाट निवासी सोमली तहसील हिण्डौन जिला करौली | वादीगण |

बनाम

- | | |
|--|---|
| 1. हरीलाल | पिसरान भौरीलाल जाति जांगिड निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 2. लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण | |
| 3. श्रीधर | |
| 4. राजेश कुमार पुत्र रमेश चन्द जाति जाट निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली | |
| 5. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर | प्रतिवादीगण |

दावा बाबत् तकास्मा,
एवं हुकमईम्तनाई दवामी

मुकदमा नं0 99/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे हाजिरी श्री शरदीलाल चौधरी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरू श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिकी दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 482/865 रकबा 0.40 है0, 483/866 रकबा 0.46 है0, 484 रकबा 1.19 है0, 485 रकबा 0.15 है0, 486 रकबा 0.27 है0, 487 रकबा 0.37 है0, 488 रकबा 0.51 है0, 490 रकबा 0.28 है0, 491 रकबा 1.04 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.67 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.07.2022 को यह डिकी जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली